ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **12 July, 2025**

Dr Abhishek Manu Singhvi, MP and Chairman, Law, Human Rights & RTI department, AICC addressed the media at Indira Bhawan, AICC Hdqrs, today.

डॉ॰ अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा- नमस्कार दोस्तों, आमतौर पर मैं उस विषय में जिसमें मैं खुद अपनी प्रोफेशनल हैसियत में पेश हुआ हूं, ब्रीफ नहीं करता हूं और मैं जानता हूं कि यह मामला लंबित है बिहार एसआईआर वाला और इसमें लीड काउंसिल मैं हूं। इसलिए मैं ब्रीफ आमतौर पर नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, जिस प्रकार से बरगलाया जा रहा है, जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है इस अंतरिम आदेश के विषय में। इसलिए मैंने समझा कि मैं बहुत संयम से और बहुत संक्षेप तरीके से आपको दो चीज कहना चाहता हूं। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सोच क्या थी? दलील क्या थी? उसके पीछे कारण क्या था?... यानी कांसेप्ट और दूसरा बताना चाहता हूं कि क्या वास्तव में यह आदेश है? इसका क्या अभिप्राय है? क्या परिणाम है? और इससे जो बाकी दुष्प्रभाव वगैरह, जो बाकी चीजें हो रही हैं, बरगलाने की प्रक्रियाएं, भ्रमित करने की प्रक्रियाएं उन पर रोकथाम लगे। इस उद्देश्य से मैं आपके सामने आज आया हूं। इसलिए मैं जो कहूंगा वह संयम और सीमित रूप से कहूंगा, क्योंकि ये मामला लंबित है और अगली तारीख 28 जुलाई है, जैसा आप और हम सब जानते हैं।

मैं अपनी बात कहूं, उससे पहले यह भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य था कि मैं एक प्रकार से पूरे इंडिया अलायंस की तरफ से पेश हुआ था। यह इंडिया अलायंस की भी जीत है, कांग्रेस की जीत है आंतरिक रूप से, क्योंकि जो एक याचिका है उसमें कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, डीएमके, सपा, शिवसेना उद्धव जी वाली, जेएमएम और सीपीआई(एमएल) सभी शामिल हैं... तो ये संयुक्त याचिका थी। इसके अतिरिक्त मैं दो और याचिकाओं में पेश हुआ... टीएमसी की महुआ मोइत्रा जी की याचिका में और पीयूसीएल की याचिका में, यानी तीन याचिकाओं में और लगभग 10-11 पार्टीज के लिए। तो पहले क्या मुद्दे थे मूल रूप से उच्चतम न्यायालय में, यह केस समझना

आवश्यक है आपके श्रोताओं, आपके दर्शकों और आपके जरिए। पहला हमारा जो बिंदु था, इसमें दो ब्रॉड बिंदु थे। एक तो बिंदु था अधिकार क्षेत्र का, कानून के अभाव का, कानूनी उल्लंघन का... किस प्रकार से आपके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है यह करने का, किस प्रकार से आपने कानून का उल्लंघन किया है और दूसरा बिंदु था कि अगर मान भी लिया जाए कि आपके पास कुछ अधिकार क्षेत्र हैं, कुछ पावर हैं, तो किस प्रकार से आपने उसका दुरुपयोग किया है या जो प्रक्रिया की है वो सही नहीं है। ये दो हमारे ब्रॉड बिंदु थे।

तो जहां तक पहले का सवाल है हमारे ये तीन-चार कानूनी बिंदु थे, जिसको मैं समझाना चाहता हूं आपको। पहला - कि यह पहली बार ऐसा हुआ है, बड़ी विचित्र बात है और हमारा मानना है कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्या है सही, क्या गलत है वो उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगा बाद में, अभी मामला लंबित है। लेकिन पहला बिंदु ये है कि 2003 के इलेक्ट्रोरल रोल पर समझ लीजिए 100 लोग हैं। आप 100 के 100 लोग 2003 में हैं और 2003, जिसको अब 25 या 22 वर्ष हो गए, उसके बाद लगभग मान लीजिए 100 लोग और या 200 लोग और उसमें जुड़े हैं। तो इस प्रशासनिक आदेश द्वारा चुनाव आयोग के यह कहा गया है कि 2003 वाले लोगों को हम नहीं देखेंगे, नहीं छुएंगे, लेकिन यह प्रक्रिया जो अब चल रही है उसके अंतर्गत, हम हर उस 2003 के बाद वाले व्यक्ति को एक संदिग्ध कैटेगरी में डाल देंगे। प्राथमिक रूप से उसको यह बताना पड़ेगा हमें कि कैसे वह नागरिक है, कैसे उसका लोकस है... नहीं तो उसको हटा देंगे हम।

यद्यपि वह हमारे इलेक्ट्रोल रोल में पिछले 22 साल से है, पिछले 10 साल से है, पिछले 15 साल से है, पिछले दो साल से है 2003 के बाद और जो जिम्मेदारी है यह सिद्ध करने की, यह चुनाव आयोग की नहीं है। कोई कंप्लेनेंट आप जैसा जाकर बोले कि साहब यह आदमी नहीं है सिटीजन... उसकी नहीं है। उल्टा ये जो संदिग्ध कैटेगरी है 2003 के बाद वाले लोगों की, उनको अपने आप जिम्मेदारी... ओनस को उल्टा कर दिया है, बर्डन को उल्टा कर दिया है कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा किस प्रकार से आपके पास इनमें से यह दस्तावेज हैं कि नहीं, यह प्रथम बिंदु है कि इस प्रकार से आप पुराने जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, यह ध्यान रखना जरूरी है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो याचक हैं, अर्जी देते हैं नए वोटर बनने के लिए। हम उनके लिए बात नहीं कर रहे जो याचक हैं, अर्जी देते हैं नए नागरिक बनने के लिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोल रोल में 2003 से बैठे हैं। कोई 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए और दूसरा बिंदु इससे संबंधित कि आप जो 2003 के

बाद के हैं लोग, वो सिर्फ तीन कैटेगरी में हम बांट रहे हैं। उनकी समय सीमा दी है, मैं आपको डिटेल से बोर नहीं करूंगा और उन तीन कैटेगरी में आपको यह दस्तावेज देने से ही सिर्फ आप अपने आपको यह टेस्ट में आप सफल हो सकते हैं टेस्ट के अंदर।

क्या है वो तीन, समय सीमा - समय सीमा एक में अगर आप पढ़ते हैं, 2003 के बाद वाले लोग, तो उसमें आपको अपने खुद का जन्म दिवस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, यानी मेरे को अपना। अगर आप दूसरी समय सेवा में पढ़ते हैं तो मेरे को अपना या मेरी माता या मेरे पिता दोनों में से एक का और तीसरे में मुझे अपना, मेरी माता का और मेरे पिता का, तीनों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप यह सिद्ध नहीं करते हैं, तो फिर आप उस 2003 की बाद वाली इलेक्ट्रोरल रोल जो प्रकाशित हो चुकी इतने वर्षों उसमें नहीं रह सकते। मैंने मजाक में कहा, जजेस को भी मैंने कहा कि साहब यह बहुत संदेह की बात है कि दिल्ली में कौन से ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जो अपना खुद का बर्थ सर्टिफिकेट ला सकें। अपने माता या पिता की बात तो दूर है, मैं अपना सर्टिफिकेट आसानी से अगर मुझे पूर्व सूचना नहीं हो कई महीनों की तो नहीं दे सकता बर्थ सर्टिफिकेट। तो यह था मूल मुद्दा जो एक संदिग्ध कैटेगरी बनाना, एक जिम्मेवारी उल्टा करना, बर्डनों को बदलना। तीसरा था कि यह सब किया गया एक प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा। कानून में कोई बदलाव नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है, जो मूल ढांचा जो कानून का है इस विषय पर, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई स्टेच्यूटरी नोटिफिकेशन नहीं है। एक प्रशासनिक आदेश है, एक प्रेस नोट है। और यह अधिकार क्षेत्र जो तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से एक तरफ देखता है, एक कसौटी को देखता है... नागरिकता।

तो बड़ा सरल आंसर है - नागरिकता की कसौटी को देखने का अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग में नहीं है। नागरिकता हो या ना हो या जो एक स्थापित वोटर लिस्ट में व्यक्ति है उसकी नागरिकता के कारण हटाया जाए कि नहीं वह किसी और ट्राइबूनल को, कभी फॉरेनर्स ट्राइबूनल होगा, कभी एमईए होगा, कभी सरकारी एक प्रक्रिया होगी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, वो एक अलग एक्ट है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पिछले 75 साल में कभी यह नहीं कहा गया कि हम आपके दस्तावेज देखेंगे एक मूल उद्देश्य के साथ कि नागरिकता आपकी कहां है? तो नागरिकता का अधिकार क्षेत्र भी आपके आसपास नहीं आता चुनाव आयोग के, ये तीसरा अहम मुद्दा हमने उठाया है। मैं किसी मुद्दे के मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि हमने क्या मुद्दे उठाए। उनमें निर्णय क्या होगा, वो उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, मेरा नहीं, आपका नहीं।

चौथा - हमने कहा कि एक बहुत पुराना निर्णय है उच्चतम न्यायालय का ही, उसका नाम है लाल बाबू हुसैन, जिसने कहा है कि नागरिकता के विषय में और जो ये कैटेगराइजेशन है दो तरह की, एक तो वोटर जो लिस्ट में आना चाहता है पहली बार और दूसरा वोटर जो लिस्ट में बैठा है ऑलरेडी कई वर्षों से, ये दो अलग कैटेगरी हैं। जहां तक दूसरी कैटेगरी का सवाल है, उच्च न्यायालय कह रहा है ये, मैं नहीं कह रहा हूं। जहां तक दूसरी कैटेगरी का सवाल है, आप उसको हटा नहीं सकते जब तक कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया ना हो। न्यायिक प्रक्रिया मतलब होता है कि यह महिला मेरे विरुद्ध एक ऑब्जेक्शन करेंगी। मैं उस ऑब्जेक्शन का जवाब दूंगा। एक निष्पक्ष तीसरा जज उसका निर्णय करेगा और उस निर्णय के बाद मैं हटूंगा। आज चुनाव आयोग प्रशासनिक एक सूचना द्वारा यह कर रहा है, वह भी कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, बहुत अल्प समय में।

पांचवा बिंदु था हमारा कि यह जो संदिग्ध कैटेगरी मैंने बोली, यह लगभग 4.9 यानी 5 करोड़ की कैटेगरी है। 5 करोड़। भारत का सबसे ज्यादा वोटर वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश... उसके बाद नंबर दो पर आता है बिहार। टोटल लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं, उसमें से 5 करोड़ इस संदिग्ध कैटेगरी में आ गए। तो अगर इसमें से आप 2 करोड़ को भी निष्कासित कर देते हैं, डिसइनफ्रैंचाइज कर देते हैं, वोटबंदी कर देते हैं, तो चुनाव कैसा रहा? चुनाव का सबसे अहम एक पुराना सिद्धांत है हमारे कानून का कि एलपीएफ, लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेवल प्लेइंग फील्ड आधार है चुनाव का, वोटर का। और चुनाव और वोटर और लेवल प्लेइंग फील्ड आधार है गणतंत्र-लोकतंत्र का। और लोकतंत्र-गणतंत्र आधार है बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल ढांचे का। इसका मतलब है कि अगर मैं संविधान संशोधन द्वारा भी कहूं कि लोकतंत्र में यह नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है या वन पर्सन वन वोट नहीं आवश्यक है, तो वो मूल ढांचे का संविधान संशोधन अपने आप में असंवैधानिक होगा, क्योंकि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो यह बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही एक विशेष स्पेशल अजीबोगरीब प्रसंग था।

छठा हमने जो बिंदु किया बड़ा रोचक है और बड़ा दयनीय है, क्या है वह? आप और हम पिछले 15 वर्ष से अगर छींकते हैं तो भी हमको आधार दिखाना पड़ता है। आधार हमारा आधार है। रेलवे स्टेशन से दुकान, अस्पताल से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से हवाई जहाज, कहीं जाइए पहली चीज है आधार कार्ड और मैं उसकी बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यह स्थापित एक प्रक्रिया है। नंबर दो - उससे भी ज्यादा विचित्र विडंबना। इस आधार को, क्योंकि जब यह आधार आया था तब चुनाव आयोग कानून कई वर्षों से चल रहा था, उस कानून में इसका जिक्र नहीं था। तो

रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को हाल में कुछ वर्ष पहले अमेंड किया गया, संशोधित किया गया। अगर जिसको इंटरेस्ट है, वो अनुच्छेद 23(4) के अंतर्गत और आधार को उसमें पूरी तरह से स्थापित किया गया एक्ट के अंदर संशोधन द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। यानी आधार का लोकस है। इसके अलावा चुनाव आयोग जो खुद कार्ड इशू करता है, जो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, इसको इलेक्शन कमीशन कार्ड कहते हैं, कुछ लोग उसको ईपीआईसी कार्ड कहते हैं। वो किसका कार्ड है? चुनाव आयोग का कार्ड है। उसको कहते हैं - वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तीसरा खैर एक हम सब जानते हैं राशन कार्ड, खासतौर से बिहार जैसे इलाके में। अब मजे की बात यह है कि तीनों, उसके अलावा बहुत सारे और कार्ड्स हैं। तीनों के बावजूद चुनाव आयोग तीनों को निरस्त कर सकता है, इग्नोर कर सकता है इस आदेश के पहले। यानी आप तीनों लेकर जाएं या उनमें से दो लेकर जाएं, तो कह सकता है कि यह पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। आप जाकर वह लेकर आओ - बर्थ सर्टिफिकेट खुद का या खुद का माता-पिता के साथ और या दोनों-तीनों के साथ।

तो यह बड़ी एक अजीब बात है कि जहां सबका देश का आधार बना रहा है सहारा, वहां ईसी ने उसका कर दिया है किनारा। इसका तो कोई समझ नहीं आया। मैंने कहा था- India lives on Aadhar from rations to rail, but, for election, it is suddenly become a fairy tale. यह चुनाव आयोग ने एक_प्रशासनिक आदेश द्वारा और उसके अलावा जो फॉर्म है स्टेच्यूट के अंदर, कानून के अंदर, एक्ट के अंदर, इसको ना आप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूं। फॉर्म 4, फॉर्म 6, फॉर्म 8... कोई भी बदला नहीं गया है, वह वैसा का वैसा पुराना है। एक प्रशासनिक आदेश द्वारा कहा है कि हमको यह दस्तावेज दिखाओ। फिर हमने बात की लॉजिस्टिक्स की, कि किस प्रकार से इसको आप कार्यान्वित कर सकते हैं, जमीनी सच की। 25 तारीख थी जुलाई की इस आदेश के अंतर्गत। यह तो हमारी याचिका दर्ज करने के बाद इसकी तारीख 4 अगस्त बढ़ाई गई और 4 अगस्त में भी कुछ फाइल नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म फाइल करना है, उसके साथ कोई दस्तावेज नहीं देने हैं... यह संशोधन किया है।

तो एक्चुअली इस प्रक्रिया में इतनी बड़ी पांच करोड़ के लोगों की संख्या को लगभग दो-ढाई महीने में असिस्ट करना ऐसे कार्ड्स लेने के लिए एक असंभव प्रक्रिया है, एकदम असंभव है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए और कितने भी सैकड़ों लोगों को आप लगाएंगे, उसमें अगर एरर मार्जिन कितना भी हुआ, दो करोड़ का भी हुआ। तो आप बहुत बड़ा हनन कर रहे हैं लोकतंत्र और गणतंत्र का। हमने एक और बात कही, जो बहुत विचित्रता है इसके बारे में। वैसे एसआईआर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ आईआर लिखा है एक्ट में और बाकी होता है एक समरी आईआर। या तो

होता है आईआर या समरी आर... यह दो बड़ी विचित्र बात हैं। पहली बात कि 2003 में आपने किया था। 2003 के बाद 10 चुनाव हो गए बिहार में, पांच लोकसभा, पांच असेंबली। 10 चुनाव में आपको कोई आपत्ति नहीं थी बिना एसआईआर के। आपको करना भी इस बार है तो दिसंबर में करिए चुनाव के बाद। आपने चुनाव से लिंक क्यों किया इसको? दो महीने जब बचे हैं चुनाव में, तीन महीने बचे, तब क्यों लिंक किया? अगर 10 चुनाव हो गए हैं बिहार में, तो आप दो महीने बाद इसको विस्तृत रूप से करते चुनाव के बाद... किस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं। दूसरा जो 2003 में आपने किया तो चुनाव असेंबली के दो वर्ष दूर थे, 2005 में हुए थे, आपने 2003 में प्रक्रिया की। 2003 में आपने प्रक्रिया की, तो लोकसभा के चुनाव 2004 में 12 महीने दूर थे। इस बार आपने जून के अंत में घोषणा की और अंत करने का इरादा था अगस्त में, अब आपने बढ़ाकर एक-दो महीने बढ़ा दिया है।

तो ये किस प्रकार का मजाक है? और अगर 10 चुनाव हो सकते हैं इस आधार पर, तो एक और चुनाव होने दीजिए, उसके बाद करते हैं अच्छे रूप से। आखिर ये पूरा खेल है विश्वसनीयता का... आज आपकी विश्वसनीयता कहां पर है? महाराष्ट्र के बाद और चीजों के बाद और डिस्क्लोज नहीं करने के बाद और आरोप-प्रत्यारोप के बाद। तो विश्वसनीयता अगर आप बढ़ाएंगे तो इसमें अच्छा आप ही का होगा। और इसके अलावा हमने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया इस रफ्तार से चल रही है, जबकि पूरा देश और चुनाव आयोग सब देश से पहले जानता है कि बाढ़ और माइग्रेशन अपना श्रमदान देने के लिए सबसे पीक में होता है जुलाई-अगस्त में। आप जानते हैं जुलाई-अगस्त में पंजाब और हरियाणा या और भी जगह देख लीजिए, तो रोपने का टाइम है। बिहार के सबसे ज्यादा लोग उस वक्त रोपने के लिए जाते हैं। जिन इलाकों में, उत्तर बिहार में या और इलाकों में बाढ़ आती है, वहां पर आप अपने उसी स्थान पर जाएं जहां आपका घर खड़ा था, तो अपने घर को पहचान नहीं सकते।

तो यह बेचारे व्यक्ति और सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव इसका पड़ता है श्रमजीवियों पर, मजदूरों पर, अल्पसंख्यकों पर, पिछड़े नहीं पिछड़ों में सबसे ज्यादा पिछड़ों पर, गरीब पर। वो बेचारा अपने परिवार को बचाएगा, अपने आप को बचाएगा, अपनी आजीविका करेगा या भागता फिरेगा पागलों जैसे इन दस्तावेजों के लिए। यह और कई मुद्दे हमने किए। तो अब मैं अपने अंत में आता हूं। क्यों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया मैंने? इसके बावजूद जो भ्रम फैलाया गया, इसको सुनकर यह आदेश उच्चतम न्यायालय ने अभी जब मैं पेश हुआ, यह पास किया है। अब ये आदेश काले-सफेद में है, अंग्रेजी में है, ना आप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूं। तो इसमें इस प्रकार का भ्रम कैसे फैलाया जा सकता

है? इसके बिंदु मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं और इसका क्या महत्व है? क्या उपलब्धियां हैं इंडिया अलायंस की वो बता दूं, फिर मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

पहला जो वाक्य है, पहली लाइन है इस आदेश की उसमें लिखा है- it's a significant issue. It's a very important… important question has been raised. अब आप ही निर्णय करिए कि जो भ्रम भ्रम फैलाया जा रहा है, जो ऑर्डर में लिखा है वो सही है। दूसरा - हम समझते हैं कि सभी ग्राउंड्स आपके, सभी याचिकाएं, सभी आपके बिंदु खुले हैं। हम 28 को लगा रहे हैं, जब तक कुछ नहीं हुआ होगा, 28 तक चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रक्रिया जारी है। 28 अब से दो हफ्ते से कम है समय या दो हफ्ते हैं। तीसरा - सभी हमारी दलीलें उसके बाद और उस दिन खुली हैं, किसी को बंद नहीं किया, निरस्त नहीं किया। चौथा - जो चुनाव आयोग का बड़ा स्पष्ट स्टैंड था कि आधार अपने आप में या किसी के साथ पर्याप्त नहीं है, उनका कि नहीं... यह तीन दस्तावेज आप कंसिडर करेंगे... वर्ड लिखा है कंसिडर। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कल अगर आप जाती हैं इन तीन दस्तावेजों के साथ और मैं चुनाव आयोग में कहता हूं कि तीन दस्तावेज हैं, बहुत अच्छी बात है, आप घर जाइए, हमको वो चौथा वाला चाहिए... तो वो संभव नहीं है। यह नहीं है कि यह बाध्य है दस्तावेज - आधार। अगर ये दिखा सकें आप कि भाई आधार कोई दिखा दे कि आधार फर्जी है। फोर्ज्ड है। इस आदमी का हो ही नहीं सकता, इसका जन्म यहां दिखा रहे हैं 10 तारीख को और जन्म उसका कभी हुआ ही नहीं था तब, तब तो ठीक है आधार नहीं चलेगा। लेकिन अगर वैसी चीज नहीं है, तो आप यह नहीं कह सकते कि पर से आधार बाहर है, अपने आप में आधार बाहर है और यही चीज लागू होगी आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड पर। यही चीज लागू होगी आपके राशन कार्ड पर।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण, आगे अग्रणी पंक्ति की बात है और इसके बाद सब दलीलों को सुना जाएगा और फिर रिकॉर्ड किया मेरा खुद का सबमिशन कि अगर अब से 28 तारीख तक की बात है ये और 28 तारीख तक उनको सब सूचियों को देखना है तो हम इस वक्त अपना आंतरिक जो हमारे बहुत और सारे आदेश हैं, उनको प्रैस नहीं करते हैं, ये मैंने रिकॉर्ड करवाया है। हमारे सब आंतरिक खुले हैं, हम तो यह भी कहने वाले हैं कि इसको निरस्त करना चाहिए, इसको अधिकार क्षेत्र नहीं, यह कानून से गलत है, लेकिन उसका समय आएगा 28 जुलाई और अगस्त के बीच में। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश में मेन मामला लंबित है, सबजुडिस है। इस पर गलत अटकलें लगाना सही नहीं है और मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि इसको सही संदर्भ में आपके समक्ष रखना।

Dr. Abhishek Manu Singhvi said- Normally friends, I do not take a briefing on a subjudice pending matter, but, it is necessary to do so this time very briefly and within limits, because an extra ordinary amount of misinformation, distortion and disinformation is being spread about a very simple interim order passed by the Supreme Court in its last hearing on the SIR Bihar issue on 10th July, 2025.

I will, therefore, deal with- (A) the attempt to distort it and tell you first and foremost what was our rational, what was our principal conceptual argument. Only to put the argument, not on its merit, it may be rejected against me, it may be allowed in my favor, that is for the court to decide. I am only giving you a summary synoptic thumbnail sketch about the various points, we are raising.

Second, we are telling you about the distortions and the misinformation, as I said. And thirdly and more importantly, we are also making it clear that the submissions and the arguments for two levels, perse lack of jurisdiction and law and authority and secondly the operational reality, the logistics- how you can do it. The misuse of power, assuming you have power, although we say you have no power at all in law.

Before I tell you also the synoptic summary, let me add that I have the privilege of representing ten parties in three petitions. One petition comprised a holistic collective petition by 8 political parties and therefore the INDIA alliance also has a great interim victory as far as the interim order is concerned, that comprise the Congress Party, the CPM, the CPI, the CPI(ML) the *Sapa* (SP), the DMK and the Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray). I also had the privilege of representing Ms Mahua Moitra from the TMC in a separate petition and also PUCL in a third petition.

What was a broad contour of that which we raised before the court? One, it is for the first time that you have created an artificial, non-existent, doubtful hanging in the air category- like a Trishanku. Neither here nor there in suspended animation, that category is this. Anybody and everybody, who is registered after 2003, which is estimated to be above 4.9 crores, may be 5 crores, may be four and half crores, it doesn't matter. All of those people are deemed to be in a suspended category, where until they prove and the proof is focused on citizenship, despite being a voter on a registered voter list for the last 10- 15- 20 years, they may be barred from voting.

The obvious implication is that unprecedented implication. One, the burden of proof is reversed. The EC is not coming forward and saying so and so person, this journalist is born in Bangladesh, he is a non-citizen, I have material, give him a notice, adjudication happens. He has to prove that he is not so and so.

Secondly, this is done by recourse to an artificial further sub categorization in this category of all those, who are registered after 2003. Remember, we are talking of already registered voters. Already registered voters after 2003

category- A is born or concerned between this year and this year, they give a year, I am not going to dictate 87 to some year, have to produce their birth certificate. If you are on 2003 list, you are left out. If you are not in 2003 list, then you must produce so and so birth certificate of your own. If you are in another time period, you must have your own birth certificate and that of your father or your mother. If you are in the third time period, you must have the birth certificate of yourself, plus your father, plus your mother.

You can imagine, how many of you, if asked within one week or two weeks or four weeks in Delhi to produce a birth certificate, produce it. I doubt many of you can, certainly I could not, if given, not sufficient notice. Here, I have to get my father or mother and then my father and mother in some cases.

The other aspect, we raised was that the focus of this exercise was itself unconstitutional. This exercise was focused on determining nationality citizenship, that is totally beyond the jurisdictional limit of the Election Commission. The Election Commission cannot decide citizenship. Citizenship can be decided either by foreigners' tribunals or by government of India under different citizenship act. In the course of dealing with already registered voters, you cannot disenfranchise them by saying that you are not a citizen. This exercise has to be done somewhere else and then you can come and say- I have proved that this man is not a citizen, therefore remove him from the list. You can't tell that an already registered voter is subjected to a scrutiny by the Election Commission and removed on the ground of citizenship.

Number three, there is a more than 20-year-old judgement on this by the Supreme Court called Lal Babu Hussein, which is held exactly this that citizenship is not in the domain of the *Chunav Ayog*, the Election Commission. It is also said that there is a fundamental difference between those who apply for registration as a voter, those who want to come into the list of registration of voter for the first time vs those who are already sitting on the register and therefore this is a without jurisdiction, without law exercise at the base in a conceptual fundamental sense.

We, then also pointed out the fourth aspects that this involved roughly 4.9 crores voters, who in the original design had to be decided this way or that way in one month, expiring on 25th of July. Now they are saying that all of them can apply but, we will decide them within 2 months later, so the same principle cannot be possibly done by any logistical exercise, by any amount of army doing it, do it in two months or three months. How you will get citizenship proof in this time is impossible to conceive.

Next is a very-very important point of which the court gave us a very-very preliminary interim order. The document itself lists, the Election Commission document order list several documents, which makes it clear that none of them

will decide the matter unless you produce your citizenship proof. It is written there optional.

The amazing part is that for the last 15 odd years or 12 odd years, we are living breathing, acting, sleeping, waking with Aadhaar. If you go and sneeze, you must produce your Aadhaar. You go to the railway station, to a cinema hall, to a University, everywhere it is Aadhaar. Understanding this, some years ago the act of Parliament was amended and section 23(4) was added in the Representation of the People Act, the Bible and the Gita and the Quran of the Election Commission to say that Aadhaar is a valid card.

And now this *Dastawez* undoes or violates statute, it says it is optional. It says- it may be there, may not be there, I will look at the other citizenship thing. So, also astonishingly for the EC's own card, Election Commission, all of us have it an EC voter card, this is an EPIC. That is to be ignored or not weighty enough to be taken in to consideration… ration card. So, we said that these three and the interim order records that these three shall be "considered". I will tell you the impact of that in a moment.

We then, and therefore I said that you amended the law to embrace Aadhaar and then kicked it out from the main Bazaar. This is like applying kafka in Patna, in Bihar. In 12 years, billions are linked and yet Aadhaar is not good enough for a voter sync. वोटर सिंक के लिए आधार गुड नहीं है, बिलियन्स को लिंक कर दिया है आपने। Then I also pointed out in the court the sheer logistics assuming there is some power. We are not assuming power, we are not conceding power, we are saying, it's all unconstitutional lack of power. But, look at the logistics of it.

A blind person knows that in July and August, the sowing season draws large amounts of migrant labour from Bihar to Punjab, Haryana and other northern states. All others know that in the very near future we have this curse in that area, especially north Bihar of floods. Ordinary people, remember we are talking maximum always hurt in such disenfranchisement policies, are the poor the marginalized, the minorities. Those who are not backward, but, the backwardest of the backward.

If they go back after a flood, cannot recognize where their house stood, that is the truth about Bihar floods. They are going to run like mad people in July and August searching for Aadhaar cards for this citizenship birth certificate for father certificate, for mother certificate, and if out of 4.9 post 2003 person if you disenfranchise 2 crore on this basis, 1 crore on this basis, you are fundamentally affecting a unalterable, unamendable, sacred constitutional principle basic structure. A level playing field is the heart of India's elections and election is the heart of democracy; democracy is the heart of basic structure.

If a constitutional amendment violates, LPF (Level Playing Field) or elections or one person, one vote, or democracy then a constitutional amendment will be held to be unconstitutional on the ground that it violates the basic structure.

Another point, there were many points, I will not trouble you with them, I will end by saying. Another point we raised is very interesting that you had 10 elections since 2003 in Bihar- 10, 5 Assembly, 5 Lok Sabha.

In 2003, when you had the revision, there were two years left for assembly which happened in 2005. 1 year, 12 months left for Lok Sabha which happened in 2004. Here you are having one month and now two and half three months and if 10 elections could be held, why could you not have this particular revision after this election? Why link desperately in a squeezed in period of two months this election and this revision.

We also said that a very detailed revision which is called summary revision happened for three months last year in Bihar, 2024 that led to a notification by law of the electoral roll in January 2025, which is the valid electoral roll under the law of Parliament. There is no change to it. That valid electoral roll of 2025 in January for Bihar was commented upon by the EC in press notes of April, May and June, not a mention that was so defective, that was so horrible and we have to do a new one now, within six months and yet in the end of June last week suddenly, this particular new scheme on an unsuspecting public.

So friends, lastly what is this order? This is the only reason I am here in a press conference to clarify and prevent all the misinformation, all the disinformation, all the *Mithya Prachar* going on. First and foremost, the court gives the shortest possible date, roughly two weeks away. Number two, nothing can be done by EC or anybody else till those two weeks because the exercise ongoing that is why the court gives that dates.

Number three, it specifically directs consideration. The word is 'to consider' three documents, which I have listed before you- Aadhaar, EPIC and Ration.

Fourthly, the EC, therefore cannot perse rejects these proofs, it cannot insist on a unilateral, unifocal proof only of the kind which the document of the press note says.

Fifth, in the light of this, we said, I said, I was the lead counsel that we need not press or interim stay which is much wider. We are saying- stay the whole thing, we are saying- don't have this unconstitutional, but, nothing is happening till 28th except a formal enrolment, therefore, the matter will be argued then. So, we did not need to press in this time. Which is why, it is not pressed and all this, therefore, is going to be decided either on 28th or on short dates after that.

Leaving all those points open, without limiting us in any manner, there is a clear directive to the EC on these three pieces and places of information. The coverage of Aadhaar is much wider, even passports are 2 per cent of Bihar,

Aadhaar is much more. Between Aadhaar and EPIC and Ration, it is probably 90 per cent coverage. Therefore, there is a huge public interest advanced by this interim order.

Let us not misrepresent it, let us not distort it, let us not create a controversy, where there is no scope for controversy. Of course, we can win, we can lose, that will be done on 28, but, there is an interim order which has the scope and relevance.

एक प्रश्न पर कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिए कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को वैलिड किया जाए, तो क्या चुनाव आयोग ने इसे अभी एप्लीकेबल नहीं किया है? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देखिए, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि 10 तारीख का मामला है, आज 12 तारीख है। उच्चतम न्यायालय के कोई भी आदेश होते हैं, तो वो ऑप्शनल नहीं होते। आप निर्णित नहीं कर सकते कि आप उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को और उसके लेटर को, दोनों को कार्यान्वित करें या ना करें। ना मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं। आप बाध्य हैं, मैं भी बाध्य हूं, चुनाव आयोग भी बाध्य है। तो मेरा पहला उत्तर होगा कि आप चुनाव आयोग से पूछिए। दूसरा उत्तर है कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, करना ही है। तीसरा उत्तर है कि अभी दो दिन हैं, देखिए आगे-आगे, होता है क्या।

एक अन्य प्रश्न पर कि आपने अभी कहा कि एसआईआर को निरस्त करने की मांग अभी नहीं हुई है आपकी तरफ से? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरे, निरस्त करने की स्टेज नहीं आई है, अभी तो सुनवाई की प्राथमिक तारीख थी, उसके बाद जवाब का हक होता है उनका, हमारा जवाब का हक होता है। दोनों डॉक्यूमेंट आते हैं, उस पर जीरह होती है, बहस होती है, केस खत्म थोड़े हुआ है अभी। ना कोई हमारी एक भी दलील निरस्त करने वाली रिजेक्ट हुई हो, कोई भी नहीं, तो सुनेंगे 28 को, 28 के बाद भी सुनेंगे। आज जो आप फॉर्म भरवा रहे हैं, उसमें आप आधार और ईपीआईसी और राशन कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं।

एक अन्य प्रश्न पर कि एसआईआर को निरस्त करने की मांग क्या आप आने वाले दिनों में कर सकते हैं? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कर नहीं सकते हैं, कर रहे हैं। हमने कोर्ट को कहा है कर रहे हैं। हमारा केस है, वो कर रहे हैं, हमारा लिखित केस कर रहे हैं, मेरी ओरल बहस हो रही है, कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया अभी, हमारा कहना है कि ये अधिकार क्षेत्र नहीं है आपका, ये असंवैधानिक है। नागरिकता में आप झांक नहीं सकते, निर्णय आप नहीं कर सकते चुनाव आयोग, वो एक अलग ट्रिब्यूनल का काम है और ये दस्तावेज सिर्फ निर्धारित होना गलत है।

एक अन्य प्रश्न पर कि तीन जो दस्तावेज एड करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके बाद से अभी तक चुनाव आयोग की कोई मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि ड्राफ्ट पब्लिकेशन है वो एक अगस्त को होगा और एक सितंबर तक अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट होते तो बहुत लोगों को सहुलियत होती? डॉ. अभिषेक मन सिंघवी ने कहा कि ये प्रश्न व्यर्थ है, मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूं। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो चुनाव आयोग के विषय में पूछ रहे हैं। मैंने इसका जवाब दे दिया पहले ही। इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप उच्चतम न्यायालय का उल्लंघन कर रहे हैं, तो करिए, ये तो आदेश है।

एक अन्य प्रश्न पर कि अभी तक आप लोगों ने एसआईआर को निरस्त करने की मांग नहीं की है? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूरी याचिका उसको निरस्त करने के लिए है। उस याचिका के तीन, चार पांच स्टेज होते हैं। पहली तारीख को ऐसी याचिका निरस्त तो नहीं हो सकती, ना याचिका निरस्त हो सकती है, चुनौती दी है ना उस याचिका को निरस्त कर सकते हैं पहली तारीख को। आपने एक स्वाभाविक न्याय, नेचुरल जस्टिस का नाम सुना है। इतनी जल्दी थोड़े ही कि आप प्रेस भर थोड़े कि आप कोर्ट गए, प्रेस भर किया और निरस्त हो गई। हम ये बता रहे हैं आपको कि जो प्रक्रिया अभी हर मुद्दे को खुला रखती है। मेरे दस बिंदु हैं, आप उनको पढ़िए पिटीशन के, उनमें से बिना एक बिंदु को भी मेरे विरुद्ध निर्णित किए हुए, बिना एक बिंदु को निरस्त किए हुए, एक एडिशनल तीन दस्तावेज के विषय में आंतरिक आदेश आया है और 25 की तारीख से पहले मैं समझता हूं, कल तो कोर्ट खुल रहा है, परसों को, उससे पहले क्या तारीख मिल सकती है। याद रहे कि ये पार्शल डे वाली बेंच की है, ये नोर्मल बेंच की नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है।

On a question that Election commission is saying that they are acting as per the constitution, whereas only Indian citizens can vote in the election and this exercise is all about that, what is your take on it, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- This point, I am not going to go in the merits, because this is a point yet to be decided by the court, I was only talking, but, I will explain to what our case is. No doubt, only citizens can vote, does it mean, that when you are going to vote because the constitution, only citizens can vote, your neighbour stops you from voting saying- I know you are not a citizen, why can't he. He is also doing the constitutional duty. I am your *Padosi*, I can just say, you stop, because I am doing my duty. Number two, a policeman can stop you. Number three, *Chunav Ayog* may stop to you.

Rightly or wrongly, there is a citizenship act it sets up foreigner tribunals, it sets up an MEA proceeding, it has a procedure, Election Commission is nowhere mentioned has any locus to decide citizenship.

Number three, judge of Lal Babu Hussein clearly says that somebody, who is already in the voter list, can't be decided by the Election Commission to a citizen remove. You see, there is a difference. If I come, that's what the judgement says, I am not saying, Supreme Court says 20-30 years ago, if you are coming with an application- register me, Chunav Ayog can say- give me proof of your citizenship. If I am for 20 years, 20 years on your list, already on your electoral roll, not mine.

For removal is separate proceeding has to take place. If you want to know that proceeding, I will tell you, nothing to the Election Commission. That proceeding is that a person or suo moto, somebody takes notice that this man cannot be an Indian citizen, then that has to be seen internally by that Ayog etc. the Tribunal or the Government of India that there is some primary fact, ये नहीं कि कोई भी बोल दे जाकर, किसी के घर में घुसकर बोल दो- सिटीजन नहीं हो।

If it is so, that a notice is sent to that person. that person then has a proceeding before that authority, then he can go to court and then an order is passed, disqualifying your citizenship is not an easy thing. Here, the main exercise is revision of rolls by a side wind, बहती गंगा में हाथ धो लो जाकर आप। गंगा तो वहां बह रही है, इसमें हाथ क्या धो रहे हो आप, सिटीजनशिप से हाथ धो रहे हो, नागरिकता से।

एक अन्य प्रश्न पर कि पहले बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस विरोध करती है कि वो वोटर लिस्ट से आधार कार्ड को ना जोड़े और अब मांग कर रही है? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके कोई मायने नहीं हैं। वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को जोड़ने का ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि इन तीनों में से तीनों को प्राथमिकता दीजिए। पुराना डिबेट जब हम आधार लाए थे, तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, विपक्ष में कौन था उस वक्त, बीजेपी थी। उसका मतलब क्या है। बाद में बीजेपी ने लागू किया उसको 11 साल से, 12 साल से, हर चीज में किया है। प्रधानमंत्री हर दिन भाषण देते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी आधार से ही होती है ना और उसको प्राइवेसी कंसर्न एक अलग है। आज तो आधार एक आधारित कार्ड है, आधार देश का आधार है। उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हो, ये बात है, मुद्दा है।

एक अन्य प्रश्न पर कि आपने कहा था कि अब इतना समय नहीं है कि इसको जोड़ा जाए, चुनाव आयोग ने कहा है कि हम कोई असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं और इसे समय रहते कर लेंगे? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये मेरे प्रश्न का जवाब है, जो मैं पूछ रहा हूं चुनाव आयोग से, आप मान लीजिए इसको। असंवैधानिक है या नहीं, मैं कैसे जानूं, मैं तो जज नहीं हूं, शायद चुनाव आयोग जज समझता है अपने आपको।

लेकिन आप बताइए कि इसके लिए आपको रॉकेट साइंस चाहिए कि 4.95 करोड़ मान लीजिए लोग अगर 2003 के बाद हैं, उनका परीक्षण, निरीक्षण, एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा क्या इस तरीके से करने में भी, लेकिन प्रॉपर्ली करने में आपको लगता है कि समय पूरा है। कोई आदमी कोई रॉकेट की तरह चल रहा है या खानापूर्ति कर रहा है और ये दस साल से चल रहा है, तो इसको आप जो आपने अभी घोषणा की, 2026 के चुनाव से शुरु कीजिए आप। 2026 में आपके प्रदेश में चुनाव में हो रहा है, आपके हो रहा है, आपके हो रहा है, तीनों में करिए। अगर पांच असेंबली और पांच लोकसभा चुनाव गलत तो हो नहीं सकते और अगर गलत हैं, तो 11वें को भी होने दीजिए गलत।

एक अन्य प्रश्न पर कि पहले महाराष्ट्र में कब्जा किया और देश पर कब्जा किया, आपको शक पैदा नहीं होता कि चुनाव आयोग थोड़े दिन पहले ये सब कर रहा है और चुनाव आयोग जनता का नहीं, बल्कि एक पार्टी का बनकर रह गया है? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप एक राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं आपको, मैं किसी रूप से आपको जवाब दे रहा हूं, लेकिन किसी रूप से अपने निर्णय के ऊपर प्रेस वार्ता से संबंधित नहीं करिए इसको, वो अलग है, वो कानून का विषय है, वो उच्चतम न्यायालय का विषय है, तो मैं उसके संदर्भ में आपका उत्तर नहीं दे रहा हूं, ये अलग उत्तर है। नंबर दो, जो आप कह रही हैं, ये बात बहुत बड़े, बहुत सारे तबकों में फैल गई है ये बात। पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कुछ सर्वे हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि विश्वसनीयता का इंडेक्स बहुत कम हुआ है, अब इससे आगे मैं क्या कह सकता हूं। अगर आप, एक बार नहीं, लेकिन मेरे पास सूची है अलग-अलग विषयों की कई अरसों से। मैं आपको उदाहरण दूं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब होता है 2024 में, 2019 में, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तो हम करीब 30-40 मुख्य बड़ी-बड़ी जो होती हैं शिकायतें, मैं ही करता हूं उनको, मेरे ही संज्ञान से निकलती हैं, चुनाव आयोग में जाती हैं। उन 30 में से लगभग 30 मान लीजिए तो लगभग 20 या 22 तक निर्णय कहीं ना कहीं हो जाता है। आपको चेतावनी देते हैं, आपको प्रतिबंध लगा देते हैं, आपको रोकथाम कर देते हैं। लेकिन 5-6 केस जो होते हैं, जहाँ पर, नंबर एक और नंबर डेढ़ होते हैं, वहाँ पर सांप सूंघ जाता है, वहाँ पर निर्णय ही नहीं आता है, ये आपने देखा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ। तो इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी या कम होगी। तो चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता थी इतने दशकों से संवैधानिक संस्था के रूप से, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र में चुनाव सफलता से करवाने के रूप में, वो निश्चित रूप में कम हुई है और ये प्रश्न उनको अपने अंदर लगाना चाहिए, हमें नहीं पूछना चाहिए। हम जो चीज कह रहे हैं, अगर हम गलत भी हैं, मान लीजिए हम गलत हैं, आप विश्वसनीयता के

आधार पर डेढ़ दे रहे हैं, तो आप दो दीजिए ना जानकारी पारदर्शिता के आधार पर, उससे नुकसान क्या होगा आपको।

एक अन्य प्रश्न पर कि क्या हम ये मान लें कि जो कॉन्स्टीट्यूशनल बॉडी है, उस पर लीगली एक्शन कोई हो सकता है और उसको अपने पद से हटाया जा सकता है? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप ये जो हाईपोथेटिकल कानूनी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका उत्तर है, हां। लिखा हुआ है, आपको उठाकर संविधान पढ़ना है। पहली बात तो चुनाव आयोग या चुनाव आयोग की तरह कोई भी और जो संवैधानिक संस्था है, Comptroller and Auditor General है, कोई भी हमारे न्यायिक रिव्यू को, ज्यूडिशियल रिव्यू कहते हैं, उससे परे नहीं हैं, उसकी परिधि से बाहर नहीं हैं। उसके हर निर्णय में हम करते हैं, मैं करता हूं, चुनौती देता ही हूं, ये भी तो चुनौती दे ही रहे हैं, सुन रहे हैं उसको। तो पहली बात तो साफ हो जाए, कि उनके निर्णयों में कोई इम्यूनिटी है, न्यायिक रिव्यू से, यह गलतफहमी है। नंबर दो, आप व्यक्ति विशेष को उठाने की बात कर रहे हैं, उसका भी एक प्रसारित है, मैंने उसकी बात नहीं की, ना मैं कह रहा हूं, ना मैं मांग कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी निर्धारित, स्थापित एक प्रक्रिया है, इंपीचमेंट की प्रक्रिया लिखी भी है संविधान में। वो कैसे होती है, कब होती है, किस प्रकार से होती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो सब राजनीतिक पार्टियां ही निर्णीत करती हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब आप सबसे बड़े व्यक्ति को देश में राष्ट्रपति डाउनवर्ड्स इंपीच कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इंपीचमेंट क्यों नहीं है, बिल्कुल है।

एक अन्य प्रश्न पर कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मिशन को बरकरार रखा है, तो दो करोड़ वोटर्स के संकट कैसे दूर होंगे?? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देखिए पहली बात तो उच्चतम न्यायालय किसी भी संस्था के मिशन को बरकरार रखने का काम नहीं करता है, ना उनका ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ना संविधान उनको ये देता है, ना उन्होंने किया है, ना करना चाहिए, ना मैं समझता हूं किसी रूप से किया है। नंबर दो, अगर मेरी पिछली एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये नहीं मालूम कर पाए कि किस प्रकार से आंतरिक आदेश लगाया है चुनाव आयोग के विरुद्ध, तो ये मेरा दुर्भाग्य है।

Sd/-
Secretary
Communication Deptt.
AICC